स्पीड पोस्ट

TRAI

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिंटो रोड),
नई दिल्ली–110002

संख्या 2– चालक (2)/2004 प्रा0 एवं कार्मिक (भाग) दिनांक: 22 फरवरी, 2018

"ज्ञापन"

सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर के विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के तहत बड़ी शास्ति लगाने के लिए एक जांच बैठाने का प्रस्ताव करते हैं। अवचार और कदाचार के अभ्यारोपण का सार जिनके संबंध में जांच की जानी प्रस्तावित है, आरोप की मदों के संलग्न विवरण (संलग्नक–I) में दिया गया है। आरोप की प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार और कदाचार के अभ्यारोपण का एक विवरण संलग्न है (संलग्नक–II)। दस्तावेजों की एक सूची तथा गवाहों की एक सूची, जिनके माध्यम से आरोपों की मदों को साबित किए जाने का प्रस्ताव है, भी संलग्न है (संलग्नक–III और IV)।

2. श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर को निदेश दिया जाता है कि वह इस ज्ञापन की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित विवरण प्रस्तुत करें साथ ही यह भी उल्लेख करें की क्या वे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहते हैं?

3. उन्हें यह जानकारी दी जाती है कि जांच केवल आरोप की उन मदों के संबंध में की जाएगी, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए, उन्हें प्रत्येक आरोप की मद को विशिष्ट रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिए।

4. श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर को सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने बचाव में उपर्युक्त पैरा 2 में विनिर्दिष्ट तिथि पर अथवा उससे पूर्व अपने बचाव में लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं, अथवा जांच प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं अथवा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के उपबंधों अथवा उक्त नियम के अनुपालन में जारी आदेशों/ निदेशों का अनुपालन नहीं करते हैं अथवा अनुपालन करने से इंकार करते हैं, तो जांच अधिकारी उनके विरूद्ध एकपक्षीय रूप से जांच कर सकता है।

5. श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर का ध्यान केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 20 की ओर आमंत्रित किया जाता है जिसके अनुसार कोई भी सरकारी सेवक सरकार के तहत उसकी सेवाओं के संबंध में मामलों में अपने हित को साधने के प्रयास स्वरूप किसी भी उच्च प्राधिकारी को प्रभावित करने के लिए कोई राजनीतिक अथवा बाह्य प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करेगा । यदि इन कार्यवाहियों के तहत किसी मामले के संबंध में उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है तो यह समझा जाएगा कि श्री ओम प्रकाश गिरि को उस अभ्यावेदन की जानकारी है तथा ऐसा उनके कहने पर किया गया है तथा सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 20 का उल्लंघन किए जाने के लिए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

6. इस ज्ञापन की प्राप्ति की पावती दी जाए।

(एस0 एन0 तिवारी)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रा0 एंव कार्मिक)
दूरभाष 011– 23664213

श्री ओम प्रकाश गिरि,
चालक, साधारण ग्रेड, भादूविप्रा
निवास स्थान : बीएसएनएल स्टॉफ क्वार्टर नं. बी–14, टाईप–II,
विवेक विहार, दिल्ली– 110095

-164-

SPEED POST

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
Maha Nagar Door Sanchar Bhavan,
Jawahar Lal Nehru Marg, (Old Minto Road),
New Delhi - 110002

TRAI

No. 2-Driver (2)/2004- A&P (Pt.)

Dated: 22nd Feb., 2018

"MEMORANDUM"

The Secretary, TRAI proposes to hold an inquiry for major penalty against Shri Om Prakash Giri, Driver in TRAI cadre under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965. The substance of the imputations of misconduct or misbehavior in respect of which the inquiry is proposed to be held is set out in the enclosed Statement of Articles of Charge (Annexure-I). A statement of the imputations of misconduct or misbehavior in support of each article of charge is enclosed (Annexure-II). A list of documents by which and a list of witness by whom, the articles of charge are proposed to be sustained are also enclosed (Annexure-III & IV)

2. Shri Om Prakash Giri, Driver is directed to submit within 10 days of the receipt of this Memorandum a written statement of his defence and also to state whether he desires to be heard in person.

3. He is informed that an inquiry will be held only in respect of those articles of charge as are not admitted. He should, therefore, specifically admit or deny each article of charge.

4. Shri Om Prakash Giri, Driver is further informed that if he does not submit his written statement of defence on or before the date specified in para 2 above, or does not appear in person before the Inquiry Authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, or the orders/directions issued in pursuance of the said Rule, the inquiry Authority may hold the inquiry against him ex-parte.

5. Attention of Shri Om Prakash Giri, Driver is invited to Rule 20 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, under which no Government servant shall bring or attempt to bring any political or outside influence to bear upon any superior authority to further his interest in respect of matters pertaining to his service under the Government. If any representation is received on his behalf from another person in respect of any matter dealt with in these proceedings, it will be presumed that Shri Om Prakash Giri, Driver is aware of such a representation and that it has been made at his instance and action may be taken against him for violation of Rule 20 of the CCS (Conduct) Rules, 1964.

6. The receipt of the memorandum may be acknowledged.

(S.N. Tiwary)
Sr. Research Officer (A&P)
Tel. No. 011-23664213

Shri Om Prakash Giri,
Driver Ordinary Grade, TRAI
Res. BSNL Staff Quarter No. B-14, Type-II, Vivek Vihar, Delhi-95

संलग्नक –I

भादूविप्रा संवर्ग में चालक के पद पर तैनात, श्री ओम प्रकाश गिरि, के विरूद्ध लगाए गए आरोप की मदों का विवरण

मद.1 श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर ने अवकाश हेतु तीन आवेदन दिए थे (1) एक दिन का अर्जित अवकाश अर्थात् 23 मई, 2017 के लिए (2) व्यक्तिगत कार्य को दर्शाते हुए दिनांक 24 मई से 29 मई, 2017 तक छह दिनों का अर्जित अवकाश और तत्पश्चात् (3) "मुझे अपना ऋण चुकाने के लिए धनराशि की व्यवस्था करने के लिए अपने गृह राज्य जाना है" का उल्लेख करते हुए दिनाक 30 मई, 2017 से 09 जून, 2017 तक ग्यारह दिनों का अर्जित अवकाश । अवकाश की समाप्ति पर श्री गिरि द्वारा कार्यालय में कार्यग्रहण किया जाना अपेक्षित था, परंतु वे बिना प्राधिकार/ अवकाश हेतु अनुमोदन प्राप्त किए आज तक *(22 फरवरी, 2018)* ड्यूटी से अनुपस्थित रहे/ कार्य पर नहीं आए। यह मूल नियम 17(1) के परंतुक, मूल नियम 17–क, केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 तथा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 और केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 का उल्लंघन है।

अपने उपर्युक्त कृत्यों से श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर संपूर्ण रूप से सत्यनिष्ठा को बनाए रखने में असफल रहे हैं तथा उन्होंने इस प्रकार कार्य किया है जो कि किसी सरकारी सेवक को शोभा नहीं देता है और इस प्रकार उन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(i) और 3(1)(iii), नियम 17 और नियम 18(3) के उपबंधों का उल्लंघन किया है।

****

Annexure –I

STATEMENT OF ARTICLES OF CHARGE FRAMED AGAINST SHRI OM PRAKASH GIRI, DRIVER OF TRAI CADRE

Article-1 Shri Om Prakash Giri, Driver has submitted 3 applications for grant of Earned Leave (1) for one day i.e. 23rd May, 2017, (2) for 6 days i.e. from 24th to 29th May, 2017 citing personal work and thereafter and (3) for 11 days i.e. from 30th May 2017 to 9th June, 2017 citing "have to go to Home Town to arrange funds for clearing his debts". On expiry of leave, Shri Giri was supposed to resume his duties but he absented himself / remained away from duty till date *(22nd February, 2018)* without authorization / grant of leave by the competent authority. This is in violation of proviso of FR-17 (1), FR 17-A, Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, and Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and Central Civil Services (Conduct) Rules 1964.

By his aforesaid acts, Shri Om Prakash Giri has failed to maintain absolute integrity and acted in a manner unbecoming of a Government servant thereby contravened the provisions of Rule 3 (1) (i) and 3 (1) (iii), Rule 17 & Rule 18 (3) of CCS (Conduct) Rules 1964.

****

संलग्नक–II

श्री ओम प्रकाश गिरि, चालक के विरूद्ध लगाए गए आरोप की मदों के समर्थन में अवचार और कदाचार के अभ्यारोपण का विवरण

मद–1 श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर ने अवकाश हेतु तीन आवेदन दिए थे (1) एक दिन का अर्जित अवकाश अर्थात् 23 मई, 2017 के लिए (2) व्यक्तिगत कार्य को दर्शाते हुए दिनांक 24 मई से 29 मई, 2017 तक छह दिनों का अर्जित अवकाश और तत्पश्चात् (3) "मुझे अपना ऋण चुकाने के लिए धनराशि की व्यवस्था करने के लिए अपने गृह राज्य जाना है" कारण का उल्लेख करते हुए दिनांक 30 मई, 2017 से 09 जून, 2017 तक ग्यारह दिनों का अर्जित अवकाश । अवकाश की समाप्ति पर श्री गिरि द्वारा कार्यालय में कार्यग्रहण किया जाना अपेक्षित था, परंतु वे बिना प्राधिकार/ अवकाश हेतु अनुमोदन प्राप्त किए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित रहे/ कार्य पर नहीं आए।

इसलिए, दिनांक 11 सितम्बर, 2017 के ज्ञापन संख्या 2–चालक (4)/ 2004–प्र0 एवं का0 (भाग) के माध्यम से श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर को तुरंत प्रभाव से अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश दिया गया था। चूंकि श्री गिरि, के पते के बारे में इस कार्यालय में जानकारी नहीं थी, इसलिए उक्त पत्र को स्पीड पोस्ट से भेजा गया, परंतु इसे श्री गिरि को पहुंचाया नही जा सका क्योंकि डाक विभाग द्वारा उनके फ्लैट को बंद पाया गया। उसी समय, उक्त पत्र को भादूविप्रा के आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था। साथ ही भादूविप्रा मुख्यालय के सूचना पट्टों पर चस्पा कर दिया गया । परंतु, पुनः श्री गिरि ने दिनांक 11 सितम्बर, 2017 के ज्ञापन का उत्तर नहीं दिया तथा दिनांक 10 जून, 2017 से किसी भी प्रकार के अवकाश के अनुमोदन के बिना अपनी डयूटी से अनुपस्थित हैं।

दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के एक अन्य ज्ञापन संख्या 2–चालक (4)/ 2004– प्र0 एवं का0 (भाग) के माध्यम से श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर का ध्यान अप्राधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में संगत नियमों के विभिन्न उपबंधों यथा मूल नियम 17(1), मूल नियम 17–क,

पृष्ठ 2 पर जारी.....

Annexure –II

STATMENT OF IMPUTATION OF MISCONDUCT OR MISBEHAVIOUR IN SUPPORT OF THE ARTICLES OF CHARGE FRAMED AGAINST SHRI OM PRAKASH GIRI, DRIVER

Article-I Shri Om Prakash Giri, Driver has submitted 3 applications for grant of Earned Leave (1) for one day i.e. 23rd May, 2017, (2) for 6 days i.e. from 24th to 29th May, 2017 citing personal work and thereafter and (3) for 11 days i.e. from 30th May 2017 to 9th June, 2017 citing "have to go to Home Town to arrange funds for clearing his debts". And, on expiry of leave he was supposed to resume his duties, but he has absented himself/remained away from duty without authorization /grant of leave.

Therefore, vide Memorandum No. 2-Driver (4)/2004- A&P (Part) dated 11th September, 2017, Shri Om Prakash Giri, Driver was directed to report for his duties immediately. As the whereabouts of Shri Giri was not known to the office, the said letter was sent though speed post, but could not be delivered to him as the door of his flat was found to be locked by Deptt. Of Post. Simultaneously the said letter was posted in TRAI official website besides pasted in all notice board of TRAI-Hqrs. But, Shri Giri did not respond to the Memo dated 11th September, 2017 and is absent without grant of any leave since 10th June, 2017.

vide Memorandum No. 2-Driver (4)/2004- A&P (Part) dated 16th November, 2017 attention of Shri Om Prakash Giri was invited to the various provisions of the relevant rules regarding unauthorized absence such as FR17 (1), FR 17-A and Rule 25 of the CCS Leave Rules, 1972 and he was directed to resume his duty immediately or within 3 days, failing which he would be liable for disciplinary action under CCS (CCA) Rules, 1965. As his whereabouts were not known to this office the said memo was pasted on the door of his official residence and the Notice Boards of TRAI and uploaded on TRAI website. But, he again didn't respond to the Memo and also did not resume his duty

Contd....P/2

केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 25 की ओर आकर्षित किया गया और उन्हें तुरंत प्रभाव से अथवा तीन दिनों के भीतर अपना कार्यग्रहण किए जाने के निदेश दिए गए थे तथा यह उल्लेख किया गया था कि ऐसा नहीं किए जाने पर वे केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी होंगे। चूंकि श्री गिरि के पते के बारे में इस कार्यालय में जानकारी नहीं थी, इसलिए उक्त ज्ञापन को उनके कार्यालय द्वारा आबंटित निवास स्थान तथा भादूविप्रा के सूचना पट्टों पर चस्पा कर दिया गया था और भादूविप्रा की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया था। परंतु पुनः उन्होंने ज्ञापन का उत्तर नहीं दिया और अपना कार्यभार ग्रहण भी नहीं किया।

दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 के ज्ञापन संख्या 2-चालक(2)/ 2004- प्र0 एवं का0 के माध्यम से श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर को अपने स्पष्टीकरण/ लिखित विवरण प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था कि ड्यूटी से उनकी अप्राधिकृत अनुपस्थिति को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 तथा अन्य सांविधिक नियमों के तहत अकार्य दिवस के साथ सेवा में व्यवधान (*dies-non with break in service*) क्यों न माना जाए। जबकि इस पत्र को श्री गिरि ने व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया था, परंतु पुनः उन्होंने न तो इस ज्ञापन का उत्तर दिया और न ही आज तक अपना कार्यभार ग्रहण किया।

अपने उपर्युक्त कृत्यों से श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर संपूर्ण रूप से सत्यनिष्ठा को बनाए रखने में असफल रहे हैं तथा उन्होंने इस प्रकार कार्य किया है जो कि किसी सरकारी सेवक को शोभा नहीं देता है। इसके अलावा ये कृत्य ड्यूटी के प्रति उनकी अनिच्छा तथा लापरवाही को दर्शाते हैं, जोकि पूर्णरूपेण अस्वीकार्य है। उनका अपने कार्यालयी कर्तव्यों अथवा इस कार्यालय अथवा न्यायालय द्वारा जारी निदेशों/ आदेशों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। उन्हें बार-बार ड्यूटी से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में चेतावनी दी गई/ आगाह किया गया और उनका आदतन अनुपस्थित रहने का इतिहास रहा है और वे कार्यालय के नियम तथा प्रक्रिया का कोई सम्मान

पृष्ठ 3 पर जारी.....

Vide Memorandum No. 2-Driver (2)/2004- A&P dated 26th December, 2017, Shri Om Prakash Giri, Driver was directed to submit his explanation / written statement as to why his unauthorized absence from duty may not be treated as "dies-non with break in service" under CCS (CCA) Rules, 1965 and other statutory rules. Though this letter has personally been received by Shri Giri, but again he neither responded to this Memo nor has joined his duty till date.

By his aforesaid acts, Shri Om Prakash Giri has failed to maintain absolute integrity and acted in a manner unbecoming of a Government servant. Besides, these acts reflect his unwillingness and negligence towards duty, which are completely unacceptable. He also does not have any respect for his official duties or the directions/orders issued by this office or by the Courts to him. He had been cautioned / warned for his unauthorized absence from duty time and again and he has a history of being habitual absentee and has scant regard for the office rules and procedure. Hence he has violated the provisions of CCS (Conduct) Rules, 1964, CCS (CCA) Rules, 1965, CCS (Leave) Rules, 1972 and several directions/warnings of this office.

In an earlier occasion, Shri Om Prakash Giri, Driver in TRAI cadre was granted Earned Leave of 4 days from 9th January, 2017 to 12th January, 2017 [*prefixing 7th & 8th January, 2017 being Saturday & Sunday*] to visit C-44, Ram Nagar, Uttrakhand for marriage of a relative. On expiry of leave, Shri Giri was supposed to resume his duties with effect from 13th January, 2017. But instead of resuming his duties, Shri Giri absented himself/remained away from duty without authorization /grant of leave and submitted a leave application only on 22nd February, 2017 for extension of leave from 13th January, 2017 to 21st February, 2017.

Contd....P/3

नहीं करते हैं। इसलिए, उन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 और केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के उपबंधों तथा इस कार्यालय के अनेक निदेशों/ चेतावनियों का उल्लंघन किया है।

पूर्व में, श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर, भादूविप्रा को उनके निकट संबंध में विवाह समारोह में भाग लेने हेतु सी– 44, रामनगर, उत्तराखण्ड जाने के लिए दिनांक 9 जनवरी, 2017 से 12 जनवरी, 2017 (दिनांक 07 तथा 08 जनवरी, 2017 को शनिवार तथा रविवार को अवकाश के पूर्व जोड़ते हुए) चार दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान किया गया था। अवकाश की समाप्ति पर श्री गिरि द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2017 से कार्यालय में कार्यग्रहण किया जाना अपेक्षित था। परंतु अपना कार्यग्रहण करने के बजाय, श्री गिरि बिना प्राधिकार/ अवकाश हेतु अनुमोदन प्राप्त किए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित रहे/ कार्य पर नहीं आए तथा उन्होंने दिनांक 13 जनवरी, 2017 से 21 जनवरी, 2017 तक अनुमोदित अवकाश की अवधि को बढ़ाने के लिए दिनांक 22 फरवरी, 2017 को अवकाश हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया।

तत्पश्चात्, श्री गिरि को दिनांक 27 फरवरी, 2017 के ज्ञापन संख्या 10–1/2016–17/एलबीवाई के माध्यम से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। जिसकी प्रतिक्रिया में, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ग्रंथालय) को प्रस्तुत किए गए अपने दिनांक 02 मार्च, 2017 के उत्तर के माध्यम से श्री गिरि ने उल्लेख किया कि "जैसा कि आपको विदित हो मेरे ऊपर काफी कर्ज का भार है उसको चुकाने की व्यवस्था करने के लिए मुझे पुस्तैनी जमीन का सौदा भी करना था, इस सौदे के सिलसिले में और विभागीय कार्यवाही और सौदे की कार्यवाही में अतिव्यस्त होने के कारण मैं प्रशासन को सूचित नहीं कर पाया, जिसके लिए मुझे अत्यंत खेद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की गलती भविष्य में नहीं दोहराई जाएगी।"

पृष्ठ 4 पर जारी.....

Thereafter, Shri Giri was asked to submit explanation for his unauthorized absence vide Memo No. 10-1/2016-17/Lby dated 27th February, 2017. In response, he submitted, vide his reply submitted on 02.03.2017 to Sr. Research Officer (Library), that "जैसा कि आपको विदित हो मेरे ऊपर काफी कर्ज का भार है ऊसको चुकाने की व्यवस्था करने के लिए मुझे पुस्तैनी जमीन का सौदा भी करना था, इस सौदे के सिलसिले में और विभागीय कार्यवाही और सौदे की कार्यवाही मे अतिव्यस्त होने के कारण मै प्रशासन को सूचित नहीं कर पाया जिसके लिए मुझे अत्यंत खेद है। मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार गलती भविष्य में नहीं दोहराई जाएगी।"

The above submission of Shri Om Prakash Giri was considered by the competent authority and vide Memorandum No. 2-Driver (2)/2004-A&P dated 27th March, 2017 he was granted 44 days Earned Leave from 9th January, 2017 to 21st February, 2017 on humanitarian ground. However, the competent authority took a serious view in the matter considering it as gross violation of conduct rules/Leave Rules and decided to issue a recordable warning. Accordingly, Shri Giri was warned to be more careful in future and strictly adhere to the prescribed rules & regulations governing his services in the Authority. He was also cautioned that any failure in complying with the rules & regulations governing his service conditions and desertion of official duties, in future, would attract strict disciplinary action under the provisions of CCS (CCA) Rules, 1965.

****

श्री ओम प्रकाश गिरि, के उपर्युक्त निवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया तथा दिनांक 27 मार्च, 2017 के ज्ञापन संख्या 2-चालक(2)/ 2004- प्र0 एवं का0 के माध्यम से मानवीय आधार पर श्री गिरि को दिनांक 9 फरवरी, 2017 से दिनांक 21 फरवरी, 2017 तक 44 दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान किया गया । तथापि, सक्षम प्राधिकारी ने इस मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए इसे आचरण नियमों/ अवकाश नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए श्री गिरि को अभिलेखों में दर्ज की जाने योग्य चेतावनी जारी करने का निर्णय लिया। तदनुसार, श्री गिरि को भविष्य में अधिक सावधान रहने तथा प्राधिकरण में उनकी सेवाओं को शासित करने वाले विहित नियमों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी गई थी। उन्हें इस संबंध में चेतावनी भी दी गई थी कि भविष्य में उनकी सेवा को शासित करने वाले नियमों तथा विनियमों का अनुपालन नहीं करने तथा उनकी आधिकारिक कर्तव्यों के अभित्यजन करने से केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के उपबंधों के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

****

संलग्नक – III

दस्तावेजों की सूची जिनके माध्यम से श्री ओम प्रकाश गिरि, चालक के विरूद्ध लगाए गए आरोप की मदों को सिद्ध किया जाना प्रस्तावित है

1. अवकाश के तीन आवेदनों की प्रतियां (1) एक दिन का अर्जित अवकाश अर्थात् दिनांक 23 मई, 2017 (2) व्यक्तिगत कार्य को दर्शाते हुए दिनांक 24 मई से 29 मई, 2017 तक छह दिनों का अर्जित अवकाश और तत्पश्चात् (3) "मुझे अपना ऋण चुकाने के लिए धनराशि की व्यवस्था करने के लिए अपने गृह राज्य जाना है" कारण का उल्लेख करते हुए दिनांक 30 मई, 2017 से 09 जून, 2017 तक ग्यारह दिनों का अर्जित अवकाश ।
2. दिनांक 11 सितम्बर, 2017 के ज्ञापन संख्या 2–चालक (4)/ 2004–प्र0 एवं का0 (भाग) की प्रति जिसके माध्यम से उसे तुरंत अपनी ड्यूटी पर आने का निदेश दिया गया था।
3. दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के ज्ञापन संख्या 2–चालक(4)/ 2004– प्र0 एवं का0 (भाग) की प्रति जिसके माध्यम से श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर का ध्यान संगत नियमों के विभिन्न उपबंधों यथा मूल नियम 17(1), मूल नियम 17–क, केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 25 की ओर आकर्षित किया गया और उन्हें तुरंत प्रभाव से अथवा तीन दिनों के भीतर अपना कार्यग्रहण किए जाने के निदेश दिए गए थे, तथा ऐसा नहीं किए जाने पर उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दी गई थी।
4. दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 के ज्ञापन संख्या 2–चालक(2)/ 2004– प्र0 एवं का0 की प्रति जिसके माध्यम से श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर को अपने स्पष्टीकरण/ लिखित विवरण प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था कि ड्यूटी से उनकी अप्राधिकृत अनुपस्थिति को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 तथा अन्य सांविधिक नियमों के तहत "अकार्य दिन सह सेवा में व्यवधान" क्यों न माना जाए।
5. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ग्रंथालय) द्वारा श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर को जारी किए गए दिनांक 27 फरवरी, 2017 के पत्र की प्रति, जिसमें उनसे दिनांक 13 जनवरी, 2017 से 21 फरवरी, 2017 तक विभागाध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा गया था।

पृष्ठ संख्या 2 पर जारी.....

Annexure-III

LIST OF DOCUMENTS BY WHICH THE ARTICLES OF CHARGE FRAMED AGAINST SHRI OM PRAKASH GIRI, Driver ARE PROPOSED TO BE SUSTAINED

1. Copies of the 3 leave applications (1) EL for 1 day i.e. 23rd May, 2017m, (2) EL for 6 days i.e. from 24th to 29th May, 2017 citing personal work and thereafter (3) EL for 11 days from 30th May 2017 to 9th June, 2017 citing "I have to go to Home Town to arrange funds for clearing his debts.

2. Copy of the Memorandum No. 2-Driver (4)/2004- A&P (Part) dated 11th September, 2017, wherein he was directed to report for his duties immediately.

3. Copy of the Memorandum No. 2-Driver (4)/2004- A&P (Part) dated 16th November, 2017 regarding inviting the attention of Shri Om Prakash Giri to the various provisions of the relevant rules such as FR17 (1), FR 17-A and Rule 25 of the CCS Leave Rules, 1972 and directing him to resume his duty immediately or within 3 days, failing which he would be liable for disciplinary action under CCS (CCA) Rules, 1965.

4. Copy of the Memorandum No. 2-Driver (2)/2004- A&P dated 26th December, 2017 by which Shri Om Prakash Giri, Driver was directed to submit his explanation / written statement as to why his unauthorized absence from duty may not be treated as "dies-non with break in service" under CCS (CCA) Rules, 1965 and other statutory rules.

5. Copy of the letter dated 27th February, 2017 issued by SRO (Library) to Shri Om Prakash Giri, Driver asking his explanation why he has been absent himself from duty from 13th Jan., 2017 to 21st Feb., 2017 without prior approval of leave from HoD.

Contd....P/2

6. श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 02 मार्च, 2017 को दिए गए दिनांक 'शून्य' के पत्रोतर की प्रति जिसमें उन्होंने अवकाश अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश पर जाने के संबंध में अपना निवेदन प्रस्तुत किया।
7. श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 07 मार्च, 2017 को दिए गए दिनांक 'शून्य' के पत्र की प्रति।
8. दिनांक 27 मार्च, 2017 के ज्ञापन संख्या 2-चालक(2)/ 2004- प्र0 एवं का0 की प्रति जिसके माध्यम से मानवीय आधार पर श्री गिरि को दिनांक 9 फरवरी, 2017 से 21 फरवरी, 2017 तक 44 दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान किया गया तथा श्री गिरि को इस संबंध में सचेत भी किया गया था की भविष्य में उनकी सेवा को शासित करने वाले नियमों तथा विनियमों का अनुपालन नहीं करने तथा उनके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के अभित्यजन करने से केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के उपबंधों के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

****

6. Copy of the reply letter dated 'Nil' received in the office on 2nd March, 2017 from Shri Om Prakash Giri, Driver submitting his submission for leave without prior approval of leave sanctioning authority.

7. Copy of the letter dated 'Nil' received in the office on 7th March, 2017 from Shri Om Prakash Giri, Driver.

8. Copy of the Memorandum No. 2-Driver (2)/ 2004 – A&P dated 27th March, 2017 regarding sanctioning him leave for 44 days from 9th Jan., 2017 to 21st Feb., 2017 on humanitarian ground and cautioning him that any failure in complying with the rules & regulations governing his service condition and desertion of official duties, in future, will attract strict disciplinary action under the provisions of CCS (CCA) Rules, 1965.

****

संलग्नक – IV

साक्षियों की सूची जिनके माध्यम से श्री ओम प्रकाश गिरि, चालक के विरूद्ध लगाए गए आरोप की मदों को सिद्ध किए जाने का प्रस्ताव है

****

Annexure-IV

A LIST OF WITNESS BY WHOM, THE ARTICLES OF CHARGE FRAMED AGAINST SHRI OM PRAKASH GIRI, DRIVER ARE PROPOSED TO BE SUSTAINED

****

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

APPLICATION FOR EARNED LEAVE / COMMUTED LEAVE
OR EXTENSION OF LEAVE

1.	Name of the applicant	:	Om Prakash Giri
2.	Post held	:	Driver
3.	Deptt. / Section & Office	:	Lib
4.	Pay	:	-- 9250+2000
5.	House Rent and other compensatory allowances drawn in the present post	:	-- NIL
6.	Nature and period of leave applied for and date from which required	:	E.L. (one day) 23/05/17.
7.	Saturday/Sunday/Holiday, if any, to be prefixed/suffixed to the leave	:	--
8.	Ground on which leave is applied for	:	Prasanl. work.
9.	Date of return from last leave and the nature and period of that leave	:	--
10.	I propose / do not propose to avail myself of Leave Travel Concession for the block year ________ during the ensuring leave	:	--
11.	Address during the leave period	:	-- 5/2/205 M.S. APP. K.G. Mg. N.D.-01

Signature Giri.

Name in block letters Om Prakash Giri.

Designation Driver.

12.	Remarks and/or recommendations of the controlling officer	:	May be allowed. 22/5

Signature ________

Date ________

Advisor (A)

DA (HR)

22/5 PO (A&P) 23/5

-18

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

APPLICATION FOR EARNED LEAVE / COMMUTED LEAVE
OR EXTENSION OF LEAVE

1.	Name of the applicant	:	om Prakash Giri
2.	Post held	:	Driver
3.	Deptt. / Section & Office	:	Lib/Adm
4.	Pay	:	-- 9250+2000
5.	House Rent and other compensatory allowances drawn in the present post	:	--
6.	Nature and period of leave applied for and date from which required	:	24/05/17 to 29/05/17
7.	Saturday/Sunday/Holiday, if any, to be ~~prefixed~~/suffixed to the leave	:	-- 27/05/17 Satday 28/05/17 Sunday
8.	Ground on which leave is applied for	:	Parsonal work.
9.	Date of return from last leave and the nature and period of that leave	:	--
10.	I propose / do not propose to avail myself of Leave Travel Concession for the block year ______ during the ensuring leave	:	--
11.	Address during the leave period	:	-- 5/2/265 M.S. Appt K.G. marg

Signature [signature]

Name in block letters Om Prakash Giri.

Designation Driver.

12. Remarks and/or recommendations of the controlling officer : Recommended.

Signature [signature] 25/5/17

Date

[signature] 25/5 SO Adm

Dy Advisor (HR) LO [signature] 26/5

Advisor (A) [signature]

[signature] 26/5

[signature] 29/5/17

Sh. Rawat

— 18

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

APPLICATION FOR EARNED LEAVE / ~~COMMUTED LEAVE OR EXTENSION OF LEAVE~~

1. Name of the applicant : Om Prakash Giri
2. Post held : S.C.D
3. Deptt. / Section & Office : Lib/Adim
4. Pay : 9250 to 2000
5. House Rent and other compensatory allowances drawn in the present post : N.L.
6. Nature and period of leave applied for and date from which required : EL/11 days/30.05.17 to 9/06/17
7. Saturday/Sunday/Holiday, if any, to be prefixed/suffixed to the leave :
8. Ground on which leave is applied for : "I have to go to My home Town to arrange funds for clearing my debts"
9. Date of return from last leave and the nature and period of that leave :
10. I propose / do not propose to avail myself of Leave Travel Concession for the block year ________ during the ensuring leave :
11. Address during the leave period : H.No.101, old A.G. Colony Kadru Ranchi (Jharkand)

Signature [signature]

Name in block letters Om Prakash Giri

Designation S.C.D

12. Remarks and/or recommendations of the controlling officer : May be recommended.

Signature [signature] 02/06/17 SRO (Lib)

Date

DA (HR)

Dy Advisor (GA) [signature]

Advisor (Admn.) Pl. 2.6.17 [signature] 5/6/17 SRO (A&D)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार /Government of India
सत्यमेव जयते
TRAI

No. 2-Driver (4)/2004- A&P (Part)   Dated: - 11th September, 2017

"MEMORANDUM"

WHEREAS, an inquiry under Rule 14 of the Central Civil Services (CCA) Rules, 1965, has been ordered against Shri Om Prakash Giri, Driver in TRAI cadre and Secretary, TRAI, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of the said rule has appointed Shri S.B. Singh, Joint Advisor as the Inquiry Officer to inquire into the charges framed against the said Shri Om Prakash Giri, Driver.

2. AND WHEREAS, Inquiry Officer has, inter alia, informed that in the aforesaid matter, an enquiry was conducted on 22nd May, 2017 in which Shri Om Prakash Giri, Driver was requested to provide all necessary information / documents in respect of his case. But he could not provide any information/documents sought by the Inquiry Officer. Subsequently, the IO issued a Notice dt. 12.7.2017 to Shri Om Prakash Giri to provide the same latest by 15.7.2017. But, the Notice could not be served upon him as he was absent from his duty unautorizedly. Subsequently, a special messenger was sent to his residence at BSNL Staff Quarter No. B-14, Type-II, Vivek Vihar, Delhi-95 to deliver the same. The Notice could not be delivered as the residence of Shri Om Prakash Giri was found locked and the same was subsequently sent via Speed Post, but again could not be delivered due to 'locked door'. Shri Giri has not yet reported for his duty or contacted his office and his whereabouts are also not known to his office.

3. NOW THEREFORE, Shri Om Prakash Giri, Driver is hereby directed to report for his duties immediately and submit documents/information sought by the IO within 7 days. If he fails to do so, an ex-parte Inquiry shall be initiated against him under the provisions of CCS (CCA) Rules, 1965 and decision of the Competent Authority shall be binding on him.

(S.N. TIWARY)
Sr. Research Officer (A&P)
Tel. No. 011-23664213

Shri Om Prakash Giri,
Driver, TRAI
R/o. BSNL Staff Quarter No. B-14, Type-II,
Vivek Vihar, Delhi-110095

-36- -184-

सत्यमेव जयते

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार /Government of India

TRAI

संख्या 2–चालक(2)/2004–प्र0 एवं का0 (भाग) दिनांक: 11 सितम्बर, 2017

"ज्ञापन"

जबकि, भादूविप्रा संवर्ग में तैनात श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत एक जाँच किए जाने का आदेश दिया गया है तथा भादूविप्रा के सचिव महोदय ने उक्त नियम के उप–नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त श्री ओम प्रकाश गिरी, ड्राईवर के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच करने के लिए श्री एस.बी. सिंह, संयुक्त सलाहकार को जाँच अधिकारी नियुक्त किया है।

2. और जबकि, जाँच अधिकारी ने अन्य बातों के साथ–साथ यह जानकारी दी है कि उपर्युक्त मामले में, 22 मई, 2017 को श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर से उसके मामले से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। परंतु वे जाँच अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाए। तदुपरांत, जाँच अधिकारी ने श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर को दिनांक 12.7.2017 को एक नोटिस जारी कर उक्त जानकारी/दस्तावेजों को दिनांक 15.7.2017 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया था। परंतु ड्यूटी से उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण उन्हें नोटिस नहीं दिया जा सका । तदुपरांत, श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर के निवास स्थान अर्थात् बीएसएनएल स्टॉफ क्वार्टर नं. बी–14, टाईप–II, विवेक विहार, दिल्ली–110095 में नोटिस देने के लिए एक विशेष संदेशवाहक को भेजा गया था। श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर को नोटिस नहीं दिया जा सका क्योंकि श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर का निवास स्थान बंद पाया गया और तत्पश्चात् नोटिस को स्पीड पोस्ट से भेजा गया परंतु 'दरवाजा बंद' पाए जाने के कारण पुनः इसे श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर तक पहुंचाया नहीं जा सका। श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर अब तक ड्यूटी पर नहीं आए हैं अथवा उन्होंने इस कार्यालय में संपर्क नहीं किया है एंव इस कार्यालय को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

3. इसलिए अब, श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर को एतद्द्वारा तुरंत ड्यूटी पर रिपोर्ट करने और सात दिनों के भीतर जाँच अधिकारी द्वारा मांगे गए दस्तावेज/जानकारी जमा करने का निदेश दिया जाता है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के उपबंधों के तहत एकपक्षीय जाँच आरंभ की जाएगी तथा उन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय बाध्यकारी होगा।

(एस0 एन0 तिवारी)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशा0 एवं कार्मिक)
दूरभाष: 011–23664213

श्री ओम प्रकाश गिरि,
चालक, भादूविप्रा
पता: बीएसएनएल स्टॉफ क्वार्टर नं. बी–14, टाईप–II,
विवेक विहार, दिल्ली–10095

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,
Maha Nagar Door Sanchar Bhawan, Jawahar Lal Nehru Marg
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002
(Old Minto Road), New Delhi-110002

सत्यमेव जयते

TRAI

संख्या 2–चालक(2)/2004–प्र0 एवं का0

दिनांक: 16 नवम्बर, 2017

"ज्ञापन"

जबकि श्री ओमप्रकाश गिरी, ड्राइवर को दिनांक 23.05.2017 से 09.06.2017 तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था । छुट्टी समाप्त होने पर श्री गिरी को अपना कार्यभार ग्रहण करना चाहिए था परंतु वे बिना किसी प्राधिकार/बिना छुट्टी अनुमोदित करवाए अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित हैं/ ड्यूटी पर नहीं आए।

2. इसलिए, श्री ओमप्रकाश गिरी, ड्राईवर का ध्यान सरकारी सेवक के अप्राधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहनें की स्थिति में लागू होने वाले संगत नियमों के विभिन्न उपबंधों तथा परिणामों की ओर आकर्षित किया जाता है :

(क) मूल नियम (एफआर) 17 (1) का परन्तुक

उक्त प्रावधान निर्धारित करता हैं कि बिना किसी प्राधिकार के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाला अधिकारी ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान वेतन एवं भतो का हकदार नहीं होगा।

(ख) मूल नियम (एफआर 17 –क)

उक्त प्रावधान में अन्य बातों के साथ–साथ व्यवस्था भी है कि जहां कोई कर्मचारी अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है अथवा पद को त्याग देता है, तो ऐसी अनुपस्थिति को कर्मचारी की सेवा में व्यवधान अथवा ब्रेक करने वाला माना जाएगा, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश यात्रा रियायत छूट के प्रयोजनार्थ तथा विभागीय परीक्षा में उपस्थित होने की पात्रता, जिसके लिए सेवा की न्यूनतम अवधी अपेक्षित होती है, के लिए अन्यथा निर्णय न लिया जाए।

अगले पृष्ठ पर जारी.....

(ग) सीसीएस (अवकाश) नियमावली, 1972 का नियम 25:

उक्त प्रावधान ऐसी परिस्थिति से संबंधित है जहां कोई कर्मचारी देय एवं मान्य संस्वीकृत छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहता है तथा सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे विस्तार का अनुमोदन नहीं किया होता है। इस प्रकार छुट्टी न बढाए जाने के परिणाम निम्नलिखित होंगे:–

1. *सरकारी कर्मचारी ऐसी अनुपस्थिति के लिए किसी अवकाश वेतन का हकदार नहीं होगा,*
2. *अनुपस्थित अवधि को उसके अवकाश खाता से अर्द्ध वेतन अवकाश के समय उसे देय सीमा तक घटाया जाएगा। ऐसे देय अवकाश से अधिक अवधि को असाधारण अवकाश माना जाएगा।*
3. *अवकाश समाप्त होने पर ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने के लिए सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।*

3. इसलिए, अब श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राईवर को एतद्द्वारा तुरंत प्रभाव अथवा तीन दिनों की अवधि के भीतर अपना कार्यभार पुनः संभालने का निदेश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 ने तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

(एस0 एन0 तिवारी)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (कार्मिक एवं प्रशासन)

श्री ओम प्रकाश गिरि,
चालक, भादूविप्रा
पताः बीएसएनएल स्टॉफ क्वार्टर नं. बी–14, टाईप–II, विवेक विहार,
दिल्ली–10095

-99- -187-

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
Maha Nagar Door Sanchar Bhavan, Jawahar Lal Nehru Marg,
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002
(Old Minto Road), New Delhi - 110002

TRAI

No. 2-Driver (2)/2004- A&P (Part) Dated: 16th November, 2017

"MEMORANDUM"

WHEREAS Shri Om Prakash Giri, Driver was granted Earned Leave from 23.05.2017 to 09.06.2017. On expiry of leave, Shri Giri was supposed to resume his duties, but he has absented himself/remained away from duty without authorization /grant of leave.

2. Therefore, attention of Shri Om Prakash Giri, Driver is invited to the various provisions of the relevant rules and consequences which may visit if a Government servant is on unauthorised absence:

(a) Proviso to FR 17(1)

The said provision stipulates that an officer who is absent from duty without any authority shall not be entitled to any pay and allowances during the period of such absence.

(b) FR 17-A

The said provision inter alia provides that where an individual employee remains absent unauthorisedly or deserts the post, the period of such absence shall be deemed to cause an interruption or break in service of the employee, unless otherwise decided by the competent authority for the purpose of leave travel concession and eligibility for appearing in departmental examinations, for which a minimum period of service is required.

(c) Rule 25 of the CCS Leave Rules 1972

The said provision addresses the situation where an employee overstays beyond the sanctioned leave of the kind due and admissible, and the competent authority has not approved such extension. The consequences that flow from such refusal of extension of leave include that:

(i) the Government servant shall not be entitled to any leave salary for such absence;
(ii) the period shall be debited against his leave account as though it were half pay leave to the extent such leave is due, the period in excess of such leave due being treated as extraordinary leave
(iii) wilful absence from duty after the expiry of leave renders a Government servant liable to disciplinary action.

अगले पृष्ठ पर जारी.....

-160- 188-

No. 2-Driver (2)/2004- A&P (Part) Dated: November, 2017

3. NOW THEREFORE, Shri Om Prakash Giri, Driver is hereby directed to rejoin his duty immediately or within 3 days, failing which he would be liable for disciplinary action under CCS (CCA) Rules, 1965.

(S.N. TIWARY)
Sr. Research Officer (A&P)
Tel. No. 011-23664213

Shri Om Prakash Giri,
Driver in TRAI cadre,
R/o: BSNL Staff Quarter No. B-14, Type-II,
Vivek Vihar, Delhi-110095

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
Maha Nagar Door Sanchar Bhavan, Jawahar Lal Nehru Marg,
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002
(Old Minto Road), New Delhi - 110002

TRAI

No. 2-Driver (2)/2004- A&P

Dated: 26th December, 2017

"MEMORANDUM"

WHEREAS Shri Om Prakash Giri, Driver was granted Earned Leave from 23rd May, 2017 to 9th June, 2017. On expiry of leave, Shri Giri was supposed to resume his duties, but he has absented himself/remained away from duty without authorization /grant of leave.

2. *WHEREAS,* Shri Om Prakash Giri, Driver vide this office Memorandum dated 11th September, 2017 was directed to report for his duties and submit documents/information sought by the Inquiry Officer appointed in another case within 7 days. Since his whereabouts were not known to this office, the said Memo was pasted on the door of his residence and Notice Boards of TRAI office and uploaded on the TRAI official website apart sending it via speed post. But, Shri Giri neither resumed his duties nor responded to the Memo.

3. *WHEREAS,* another Memorandum dated 16th November, 2017 was issued to him informing about the various provisions of the relevant rules and consequences of unauthorized absence. Again this Memo was also pasted on the door of his residence and Notice Boards of TRAI office and uploaded on the TRAI official website apart sending it via speed post. But, again Shri Giri neither resumed his duties nor responded to this Memo.

4. *NOW THEREFORE,* Shri Om Prakash Giri, Driver is hereby directed to submit his explanation / written statement as to why his unauthorized absence from duty may not be treated as "**dies-non with break in service**" under CCS (CCA) Rules, 1965 and other statutory rules. Written explanation/statement of Shri Giri in compliance with the above directions should reach the undersigned within 7 days, failing which it will be presumed that he has nothing to say in his defense and suitable disciplinary action, as deemed fit, under the rules shall be initiated against him.

(S. N. Tiwary)
Sr. Research Officer (A&P)
Tel. No. 011-23664213

O/c

Shri Om Prakash Giri,
Driver in TRAI
R/o: BSNL Staff Quarter No. B-14, Type-II,
Vivek Vihar, Delhi-110095

Hand over on
27-12-2017

-122-

-190-

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
Maha Nagar Door Sanchar Bhavan, Jawahar Lal Nehru Marg,
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002
(Old Minto Road), New Delhi - 110002
TRAI

संख्या 2–चालक (2)/2004–प्र0 एव का0 दिनांक: 26 दिसम्बर, 2017

"ज्ञापन"

1. जबकि श्री ओमप्रकाश गिरी, ड्राइवर को दिनांक 23 मई, 2017 से 09 जून, 2017 तक अर्जित अवकाश प्रदान किया गया था। अवकाश की अवधि समाप्त होने के पश्चात् श्री गिरी से अपना कार्यभार ग्रहण किए जाने की अपेक्षा थी, परन्तु वे बिना किसी प्राधिकार/ अवकाश की अनुमति प्राप्त किए अपनी डयूटी से अनुपस्थित रहे/ डयूटी पर नहीं आए।

2. जबकि श्री ओमप्रकाश गिरी, ड्राइवर को इस कार्यालय के दिनांक 11 सितम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से डयूटी पर लौटने तथा किसी अन्य मामले में नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा मांगे गए दस्तावेज/ जानकारी को 7 दिनों के भीतर उपलब्ध करने का निदेर्श दिया गया था। चूंकि उनके पते के बारे में इस कार्यालय को जानकारी नहीं थी इसलिए उक्त ज्ञापन को उनके घर के दरवाजे तथा भादूविप्रा के कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया तथा इसे स्पीड पोस्ट से भेजने के साथ–साथ, भादूविप्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया। परंतु, श्री गिरी न ही अपनी डयूटी पर वापस लौटे, न ही उन्होंने इस ज्ञापन का उत्तर ही दिया।

3. जबकि श्री गिरी को संगत नियमों के विभिन्न प्रावधानों तथा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के परिणामों के संबंध में जानकारी देने के लिए दिनांक 16 नवम्बर, 2017 का एक अन्य ज्ञापन जारी किया गया था। पुनः इस ज्ञापन को उनके घर के दरवाजे तथा भादूविप्रा के कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कर दिया गया तथा इसे स्पीड पोस्ट से भेजने के साथ–साथ भादूविप्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया। परंतु, पुनः श्री गिरी न ही अपनी डयूटी पर वापस लौटे, न ही उन्होंने इस ज्ञापन का उत्तर ही दिया।

4. इसलिए अब, श्री ओमप्रकाश गिरी, ड्राइवर को एतद्द्वारा अपना स्पष्टीकरण/ लिखित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है कि डयूटी से उनके इस अनधिकृत अवकाश को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 तथा अन्य सांविधिक नियमों के तहत "अकार्य दिवस के साथ सेवा में व्यवधान (*dies-non with break in service*)" क्यों न माना जाए। उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में श्री गिरी का स्पष्टीकरण/ लिखित विवरण 7 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को पहुंच जाना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर यह माना जाएगा कि उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है तथा उनके विरूद्ध नियमों के तहत उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई, जैसी उचित समझी जाएगी, आरंभ की जाएगी।

(एस0 एन0 तिवारी)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रा0 एवं कार्मिक)
दूरभाष: 011–23664213

श्री ओम प्रकाश गिरि,
चालक, साधारण ग्रेड, भादूविप्रा
निवास स्थान : बीएसएनएल स्टॉफ क्वार्टर नं. बी–14, टाईप–II,
विवेक विहार, दिल्ली– 110095

27/12/2017 को दिया

-191-

F.No.10-1/2016-17/Lby
Telecom Regulatory Authority of India
(Library)

Dated: 27.02.2017

Subject: Application for Earned Leave dated 22/02/2017 from 13.01.2017 to 21.02.2017 - Explaination - Reg

With respect to the above cited subject, we would like to bring your notice that during this period of 40 days you were absent from your duties without information / prior approval of leave which is a serious lapse. Therefore, you are directed to explain by 01.03.2017 why you were absent from your duty from 13.01.2017 to 21.02.2017 (40 days) without prior approval of Leave from HOD.

27/2/17

(Prakash Rani Chawla)
SRO(Lib)

Shri Om Prakash Giri, SCD

सेवा में,

—3—

प्र० अनुसंधान अधिकारी (प्रुस्त.)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
एम० डी० एन० भवन
नई दिल्ली 110002

संदर्भ:- पत्र संख्या 10-1/2016-17 (प्रुस्त.) दिनांक 27-2-17 के जवाब हेतु

विषय:- 13-1-17 से 21-2-17 तक के अर्जित अवकाश प्राप्त करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

महोदय,

सविनय निवेदन यह कि मैं (आठ दिन) का अर्जित अवकाश लेकर अपने रिस्तेदार की शादी पर गया था
जैसा कि आपके विदित है मेरे ऊपर काफी कर्जा का भार है उसको चुकाने की व्यवस्था करने के लिए मुझे पुस्तैनी जमीन का सौदा भी करना था इस सौदे के सिलसिले में और विभागीये कार्यवाही और सौदे की कार्यवाही में अतिव्यस्त होने के कारण मैं प्रशासन को सूचित नही कर पाया जिसके लिए मुझे अत्यन्त खेद है और भविष्य में इस प्रकार कि गलती होगी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस प्रकार की गलती नही दोहराई जाएगी

प्रार्थी
(हस्ताक्षर)
(ओम प्रकाश गिरी)
स्टाफ कार चालक

-5 -122-

सेवा में,

श्री मान सलाहकार (प्रा QoS क्षे०)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
महानगर दूरसंचार भवन
नई दिल्ली 110002.

महोदय

नम्र निवेदन यह कि मेरे दोनों बेटे का स्कूल फीस जमा नहीं होने के कारण फाईनल परीक्षा नहीं दे पायेंगे। अतः श्री मान से निवेदन है कि मेरी वेतन को किया जाये, मेरे से गलती हो गई थी क्योंकि मेरे बगैर बताये छुट्टी कर लिया था भविष्य में यह गलती नहीं होगी कर्ज होने के कारण मुझे मेरे जमीन का सौदा के लिए काफी टाईम घर में रहना पड़ा (लॉक डाउन) में मैंने अपने जमीन को पेपर कार्य हेतु देरी हो गई थी

प्रार्थी
ओम प्रकाश, गिरी
स्टाफ कार चालक

7/3
(AO/Adm)

-17-

-193-

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
Maha Nagar Door Sanchar Bhavan, Jawahar Lal Nehru Marg,
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002
(Old Minto Road), New Delhi - 110002

TRAI

संख्या 2–चालक (2)/2004–प्र0 एव का0 दिनांक: 27 मार्च, 2017

"ज्ञापन"

जबकि श्री ओमप्रकाश गिरि, जो कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण संदर्भ मे चालक के पद पर तैनात हैं, उन्हे उनके निकट संबंध में विवाह समारोह में भाग लेने हेतु सी– 44, रामनगर, उत्तराखण्ड जाने के लिए दिनांक 9 जनवरी, 2017 से 12 जनवरी, 2017 (7 तथा 8 जनवरी, 2017 को शनिवार तथा रविवार को अवकाश के पूर्व जोड़ते हुए) चार दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान किया गया था। अवकाश की समाप्ति पर श्री गिरि द्वारा 13 जनवरी, 2017 से कार्यालय में कार्यग्रहण किया जाना अपेक्षित था। परंतु अपना कार्यग्रहण करने की बजाय, श्री गिरि बिना प्राधिकार के ड्यूटी से अनुपस्थित रहे तथा उन्होंने दिनांक 22.02.2017 को दिनांक 13 जनवरी, 2017 से 21 जनवरी, 2017 तक अवकाश की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया ।

2. जबकि, श्री गिरिको दिनांक 27 फरवरी, 2017 के ज्ञापन संख्या 10–1/2016–17/एलबीवाई के माध्यम से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। जिसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने अपने दिनांक 'शून्य' के उत्तर के माध्यम से उल्लेख किया है कि "जैसा कि आप को विदित हो मेरे ऊपर काफी कर्ज का भार है उसको चुकाने की व्यवस्था करने के लिए मुझे पुस्तैनी जमीन का सौदा भी करना था, इस सौदे के सिलसिले में और विभागीय कार्यवाही और सौदे की कार्यवाही में अतिव्यस्त होने के कारण मैं प्रशासन को सूचित नहीं कर पाया जिसके लिए मुझे अत्यंत खेद है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की गलती भविष्य में नहीं दोहराई जाएगी ।"

3. जबकि, श्री ओमप्रकाश गिरि के उपर्युक्त उत्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है तथा वे उन्हें मानवीय आधार पर दिनांक 9 जनवरी, 2017 से 21 फरवरी, 2017 तक 44 दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान करने पर सहमत हो गए हैं । तथापि, सक्षम प्राधिकारी ने इस मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए इसे आचरण नियमों / अवकाश नियमों का गंभीर उल्लंघन माना है तथा लिखित चेतावनी जारी करने का निर्णय लिया है ।

4. इसलिए अब, श्री ओमप्रकाश गिरि, चालक को भविष्य में अधिक सावधान रहने तथा प्राधिकरण में उन की सेवाओं को शासित करने वाले विहित नियमों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी जाती है । उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि उनकी सेवा शर्तों को शासित करने वाले नियमों तथा विनियमों का अनुपालन नहीं करने तथा भविष्य में उनके द्वारा उनके आधिकारिक कर्त्तव्यों का अभित्यजन करने पर उनके विरुद्ध सीसीएस(सीसीए) नियम, 1965 के उपबंधों के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

(एस0 एन0 तिवारी)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रा0 एंव कार्मिक)
दूरभाष: 011–23664213

श्री ओम प्रकाश गिरि
चालक साधारण ग्रेड, भादूविप्रा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
Maha Nagar Door Sanchar Bhavan, Jawahar Lal Nehru Marg,
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002
(Old Minto Road), New Delhi - 110002
TRAI

संख्या 2–चालक (2)/2004–प्र0 एव का0 दिनांक: 27 मार्च, 2017

"ज्ञापन" / MEMORANDUM"

WHEREAS Shri Om Prakash Giri, Driver in TRAI cadre was granted Earned Leave of 4 days from 9th January, 2017 to 12th January, 2017 [*prefixing 7th & 8th January, 2017 being Saturday & Sunday*] to visit C-44, Ram Nagar, Uttrakhand for a relative marriage. On expiry of leave, Shri Giri was supposed to resume his duties with effect from 13th January, 2017. But instead of resuming his duties, Shri Giri absented himself/remained away from duty without authorization /grant of leave and submitted a leave application on 22.2.2017 only for extension of leave from 13th January, 2017 to 21st February, 2017.

2. WHEREAS, Shri Giri was asked to submit explanation for his unauthorized absence vide Memo No. 10-1/2016-17/Lby dated 27th February, 2017. In response, he has submitted, vide his reply dated 'Nil', that "जैसा कि आपको विदित हो मेरे ऊपर काफी कर्ज का भार है ऊसको चुकाने की व्यवस्था करने के लिए मुझे पुस्तैनी जमीन का सौदा भी करना था, इस सौदे के सिलसिले में और विभागीय कार्यवाही और सौदे की कार्यवाही मे अतिव्यस्त होने के कारण मै प्रशासन को सूचित नहीं कर पाया जिसके लिए मुझे अत्यंत खेद है। मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ईस प्रकार गलती भविष्य में नहीं दोहराइ जाएगी।"

3. WHEREAS the above submission of Shri Om Prakash Giri has been considered by the competent authority and he has agreed to grant him 44 days Earned Leave from 9th January, 2017 to 21st February, 2017 on humanitarian ground. However, the competent authority has taken a serious view in the matter considering it as gross violation of conduct rules/Leave Rules and decided to issue a recordable warning.

4. NOW THEREFORE, Shri Om Prakash Giri, Driver is warned to be more careful in future and strictly adhere to the prescribed rules & regulations governing his services in the Authority. He is also cautioned that any failure in complying with the rules & regulations governing his service conditions and desertion of official duties, in future, will attract strict disciplinary action under the provisions of CCS (CCA) Rules, 1965.

(एस0 एन0 तिवारी)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रा0 एंव कार्मिक)
दूरभाष: 011–23664213

श्री ओम प्रकाश गिरि
चालक साधारण ग्रेड, भादूविप्रा